



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 06 सितम्बर 2025 ई० (भाद्रपद 15, 1947 शक संवत्) [संख्या 36

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	483—494	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	931—956	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1353-1382	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

22 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 116 / 2024 / 2242 / 23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री भगवान दास, अधीक्षण अभियंता (सिविल), विश्व बैंक (नियोजन) लखनऊ, (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, बहराईच श्रावस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बहराईच के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 117 / 2024 / 2243 / 23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री महावीर सिंह, अधीक्षण अभियंता (सिविल), (वाद) लखनऊ (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, आजमगढ़ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 118 / 2024 / 2244 / 23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्यदेव चौधरी, अधीक्षण अभियंता (सिविल), वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (ई-2) लखनऊ (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, प्रयागराज, लोक निर्माण विभाग के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 119 / 2024 / 2245 / 23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री आनन्द कुमार, अधीक्षण अभियंता (सिविल), 37वां वृत्त, परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (मुख्यालय) को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, गोरखपुर, लोक निर्माण विभाग के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 120/2024/2246/23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय जयन्त, अधीक्षण अभियंता (सिविल), (वाद-2) लखनऊ (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, कानपुर, लोक निर्माण विभाग के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 121/2024/2247/23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र प्रताप, अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लखनऊ, लोक निर्माण विभाग को अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 122/2024/2248/23-3-2024-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री मंलिखान, अधीक्षण अभियंता (सिविल), बहराईच-श्रावस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बहराईच को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, इटावा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— स्थानान्तरित अधीक्षण अभियंता अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

23 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 123/2024/2256/23-3-2024-1824947—तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय कनौजिया मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ (प्रतिनियुक्ति) के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री विजय कनौजिया अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, के पद के साथ-साथ प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ के पद का अतिरिक्त कार्य-भार देखते रहेंगे,

3— उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री विजय कनौजिया को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि देय नहीं होगा।

31 जनवरी, 2025 ई0

सं0 14/2025/152/23-3-2025-1785723—तात्कालिक प्रभाव से श्री मुकेश चन्द्र शर्मा, प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री मुकेश चन्द्र शर्मा उक्त पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 15/2025/153/23-3-2025-1785723—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु पूर्व में निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से अस्थायी व्यवस्था के तहत, अग्रिम आदेशों तक

श्री मुकेश चन्द्र शर्मा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) के पद का अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

2— उक्त प्रभार हेतु श्री शर्मा को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि देय नहीं होगा।

01 फरवरी, 2025 ई0

सं0 16/2025/156/23-3-2025-1840688—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियन्ता स्तर-एक (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार द्विवेदी (ज्येष्ठता क्रमांक-2016) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु0 67,000—79,000/- (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे।

सं0 17/2025/157/23-3-2025-20(ईएस)/2024—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सतीश चन्द्र (ज्येष्ठता क्रमांक-2077) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री सतीश चन्द्र की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 18/2025/158/23-3-2025-20(ईएस)/2024—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राम स्वरूप (ज्येष्ठता क्रमांक-2078) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री राम स्वरूप की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 19/2025/159/23-3-2025-20(ईएस)/2024—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सुनील कुमार कठेरिया (ज्येष्ठता क्रमांक-2080) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री सुनील कुमार कठेरिया की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 20/2025/160/23-3-2025-19(ईएस)/2024—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2269) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण

अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- श्री अरविन्द कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 21/2025/161/23-3-2025-19(ईएस)/2024-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2270) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- श्री राजेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 22/2025/162/23-3-2025-1840688-श्री अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया जाता है कि महाकुम्भ, 2025 के समाप्त होने तक वे प्रयागराज क्षेत्र में अवस्थान करेंगे एवं तब तक अपने पूर्व दायित्वों (मुख्य अभियंता, प्रयागराज क्षेत्र एवं मीरजापुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग) का भी निर्वहन करते रहेंगे।

04 फरवरी, 2025 ई०

सं० 23/2025/175/23-3-2025-20(ईएस)/2024-1851312-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अजय वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-2054) को उनके कनिष्ठ श्री अभिनेश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2055) की मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में प्रोन्नति की तिथि 23 अप्रैल, 2024 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- श्री अजय वर्मा, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- श्री अजय वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 24/2025/176/23-3-2025-20(ईएस)/2024-1851312-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार (ज्येष्ठता क्रमांक-2074) को उनके कनिष्ठ श्री आनन्द कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2076) की मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में प्रोन्नति की तिथि 19 दिसम्बर, 2024 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— श्री धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 25/2025/177/23-3-2025-19(ईएस)/2024—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अजय भास्कर (ज्येष्ठता क्रमांक-2274) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु० 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अजय भास्कर की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

05 फरवरी, 2025 ई०

सं० 26/2025/186/23-3-2025-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को एतद्वारा अधीक्षण अभियंता, 10वां वृत्त (भवन), लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) के पद पर तैनात किया जाता है।

सं० 27/2025/187/23-3-2025-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री देवेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को एतद्वारा अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर (परिवाद), लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) के पद पर तैनात किया जाता है।

सं० 28/2025/188/23-3-2025-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुनील सागर, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को एतद्वारा अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के पद पर तैनात किया जाता है।

सं० 29/2025/189/23-3-2025-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री विपिन कुमार, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को एतद्वारा अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर (सामान्य), लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) के पद पर तैनात किया जाता है।

सं० 30/2025/190/23-3-2025-1856532—तात्कालिक प्रभाव से श्री जैनु राम, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को एतद्वारा अधीक्षण अभियंता, 7वां वृत्त नियोजन, लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) के पद पर तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

नियुक्ति

06 फरवरी, 2025 ई0

सं0 238/23-4-2025/ई-1765396—मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका ए संख्या-30826/2019 अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 के अनुपालन में एवं तदक्रम में आयोजित अवमाननावाद संख्या-1469 (सी0ए0पी0एल0)/2023 में पारित आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र-संख्या-104/03/ई-4/2016-17 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन चयनित अभ्यर्थी की उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के संदर्भ में सुश्री मेघा मिश्रा (अनुक्रमांक-025478) पुत्री श्री उमेश मिश्रा को लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100, ग्रेड पे रु0 5,400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1) इनकी सेवायें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016, जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(4) कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को 02 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व 01 से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का स्वयं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) विवाह में दहेज न लेने सम्बन्धी स्वयं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(7) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के क्रम में प्रत्येक पांच वर्ष पर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(8) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(9) सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लेना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित अवधि में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

(10) सम्बन्धित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत है और वहाँ से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(11) सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2— सुश्री मेघा मिश्रा, सहायक अभियन्ता (सिविल) की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। यदि सहायक अभियन्ता स्वयं सेवा मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्त प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले में विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन देकर भी सहायक अभियन्ता को सेवा से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन अथवा नोटिस से कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से मुक्त हो सकते हैं।

3— संशोधित चयन परिणाम की संस्तुतियों के क्रम में सुश्री मेघा मिश्रा की उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील सं0-(डी) 475/2019 तथा विशेष अपील संख्या (डी) 278/2023 (नवीन SPLA संख्या 311 (2023) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 239/23-4-2025/ई-1765396—सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम में संशोधन कर उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका ए संख्या-30826/2019 अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 का क्रियाशील अंश निम्नवत हैं—

"An advertisement was issued by the Commission on 24.12.2013. The advertisement, as per the Government Order dated 09.01.2007, provided women reservation only to the domicile of State of U.P. and not to women of other States. The said Government Order was under challenge in Writ-A No.11039 of 2018; Vipin Kumar Maurya and Others Vs. State of U.P. and Others and connected matters. The said writ petition was allowed by judgment and Order dated 16.01.2019 and clause-4 of the Government Order dated 09.01.2007, to the extent it restricted benefit of reservation to the women, domicile of State of U.P. alone, was declared *ultra vires* to Article 16 (2) & 16 (3) of the Constitution of India. The result is declared in May, 2019. The select list is declared without taking into consideration the aforesaid judgment of this Court whereby the Government Order to the extent of reservation for women stands modified.

..... Respondents are directed to prepare the fresh select list with regard to selected women candidates as per directions contained in judgment and Order dated 16.01.2019 passed by this Court."

2— मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका ए संख्या-30826/2019 अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 के अनुपालन में एवं तदक्रम में योजित अवमाननावाद संख्या-1469 (सी0ए0पी0एल0)/2023 अंजली शुक्ला बनाम डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या-105/रिट/सैतालीस/का-4-2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-251/01/सी-3/2019-2020 दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 की प्रति उपलब्ध कराते हुए सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर लोक निर्माण विभाग में नवीन चयनित, अतिरिक्त हो गये अर्थात् चयन से बाहर हो गये अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका विभाग परिवर्तन हुआ है, को रिक्त/अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही आयोग द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

3— उक्त अपेक्षानुक्रम में प्रश्नगत संशोधित परिणाम में नवीन चयनित, अतिरिक्त हो गये अर्थात् चयन से बाहर हो गये अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका विभाग परिवर्तन हुआ है, को विभाग में रिक्त/अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित करने के संबंध में सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय लेते हुए, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1566/23-4-2024/ई-1765396 दिनांक 06 नवम्बर, 2024 निर्गत किया गया है।

4— सिंचाई एवं जलसंसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-148 (1)/सत्ताईस-13-2024, दिनांक 21 फरवरी, 2024 के माध्यम से सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के संशोधित परिणाम के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनका विभाग परिवर्तन हुआ है, का संबंधित विभाग से नियुक्ति पत्र जारी होने के उपरान्त कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

5— इसी क्रम में सिंचाई एवं जलसंसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-231/सत्ताईस-13-2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 के माध्यम से सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के संशोधित परिणाम के आधार पर सुश्री यशोधरा बिष्ट (अनुक्रमांक-006128) (जो वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं तथा जिन्हें संशोधित परिणाम में लोक निर्माण विभाग आवंटित हुआ है) को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु सुश्री यशोधरा बिष्ट के चिकित्सा प्रमाण-पत्र, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन प्रपत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख/सेवा विवरण उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

6— मा0 लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सुश्री यशोधरा बिष्ट के चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन प्रपत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख/सेवा विवरण के क्रम में, रिट याचिका ए संख्या 30826/2019 अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 एवं तत्क्रम में आयोजित अवमाननावाद संख्या-1469

(सी0ए0पी0एल0)/2023 में पारित आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर सुश्री यशोधरा बिष्ट (अनुक्रमांक-006128), जो वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं और उन्हें संशोधित परिणाम में लोक निर्माण विभाग आवंटित हुआ है, को लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100, ग्रेड पे रु0 5,400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10, रु0 56,100—1,77,500) में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1) इनकी सेवायें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उ0प्र0 सरकारी सेवक परीवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016, जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(4) कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को 02 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व 01 से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का स्वयं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) विवाह में दहेज न लेने सम्बन्धी स्वयं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(7) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के क्रम में प्रत्येक पांच वर्ष पर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(8) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(9) सम्बन्धित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लेना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित अवधि में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

(10) सम्बन्धित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत है और वहाँ से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देती हैं तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से “नो ड्यूज” का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(11) सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2— सुश्री यशोधरा बिष्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि सहायक अभियन्ता स्वयं सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्त प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले में विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन देकर भी सहायक अभियन्ता को सेवा से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन अथवा नोटिस से कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से मुक्त हो सकते हैं।

3— संशोधित चयन परिणाम में विभाग परिवर्तन के फलस्वरूप सुश्री यशोधरा बिष्ट की लोक निर्माण विभाग में उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील सं0-(डी) 475/2019 व विशेष अपील संख्या-(डी) 278/2023 (नवीन SPLA संख्या-311 (2023) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

28 फरवरी, 2025 ई0

नियुक्ति

सं0 363/23-4-2025/ई-1750295—अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-92(1)/49/पी0/एस-1(6)/2024-25, दिनांक 04 जनवरी, 2025, में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल) को उनके वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर, पे बैंड-3 रु0 15,600—39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (पुनरीक्षित पे बैंड-3, मैट्रिक्स लेवल-10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

चयन वर्ष 2024-25

क्रम सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अभियन्ता का नाम
1	2	3
		(सर्व श्री)–
1	5661	राम विशाल
2	5662	राम कृपाल
3	5663	दया राम त्रिलोकीदास

2— प्रश्नगत पदोन्नति द्वारा चयन के प्रकरण से संबंधित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही/याचिका लम्बित/विचाराधीन हो तो उक्त पदोन्नति उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3— उक्त नवपदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा एवं उनकी ज्येष्ठता के संबंध में प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

4— उक्त नवपदोन्नत अभियन्ताओं की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5— यह पदोन्नति आदेश दिनांक 01 मार्च, 2025 से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 15, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

NOTIFICATION

April 01, 2025

No. 01—From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court of Judicature Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	6885	Smt. Shahnaz Bano, Lko.	In the vacancy occurred on account of retirement of Sri Mohd. Ayyub (Emp. No.1572).

No. 02—From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court of Judicature Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-

cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	6918	Sri Munna Lal, <i>Lko.</i>	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Smt. Shahnaz Bano, <i>Lko.</i> (Emp. No. 6885).

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts and repatriation of officer who is presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any).

No. 03—From the date of taking over charge, the following Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, in the pay scale of Level-13 A (Rs. 1,31,100 – 2,16,600):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3240	Sri Ramesh Chandra Singh

No. 04—From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	6043	Sri Sunil Kumar Kanaujiya

No. 05—From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as

Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7089	Sri Santosh Dwivedi, <i>Lko.</i>

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Santosh Dwivedi, Lko will draw his salary from High Court, Allahabad upon his promotion as D.R.-cum-B.S. Gr-III.

Further, Sri C.B.L Srivastava, Lko (Emp no. 2727), Registrar-cum-Principal Bench Secretary, presently posted at Lucknow Bench of this Court and drawing his salary from High Court, Allahabad, shall draw his salary from Lucknow Bench.)

No. 06—From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar in pay scale Level-12 (Rs.78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7002	Sri Suresh Kumar

No. 07—From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7190	Ajay Kishore Shukla, <i>Lko.</i>
2	7191	Subhash Chawla, <i>Lko.</i>

No. 08—From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	5993	Mohd. Tahir
2	5730	Rakesh Kumar

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court)

(In view of prevailing transfer policy, Sri Rajendra Prasad (Emp. No. 2877), Assistant Registrar, Sri Amod Kumar (Emp. No. 7432), Section Officer and Smt. Rachna Srivastava (Emp. No. 7436), Section

Officer, all posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Ajay Kishore Shukla (Emp. No. 7190) and Sri Subhash Chawla (Emp. No. 7191), both posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Assistant Registrar)

April 10, 2025

No. 09—The following Bench Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby confirmed on the post of Bench Secretary Grade-I, with effect from the date mentioned against his name:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
1.	7690	Sri Amit Kumar Yadav	20.08.2024

(The confirmation, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

May 01, 2025

No. 10—From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	1525	Sri Sunil Kumar Singh	In the vacancy occurred on account of retirement of Sri Ali Nawaz Khan on 30.04.2025.

No. 11—From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court of Judicature Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3569	Sri Naresh Kumar	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Sunil Kumar Singh.

No. 12—From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court of Judicature Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3548	Sri Mohd. Mustaqeem Khan	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Naresh Kumar.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts and repatriation of officer who is presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any).

No. 13—From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar in pay scale Level-12 (Rs.78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	6061	Sri Raj Kamal Sonkar

No. 14—From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7192	Sri Manoj Kumar

No. 15—From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	5917	Sri Krishna Lal (Yadav)

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court)

May 19, 2025

No. 16—From the date of taking over charge, the following officers of High Court, Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby appointed as Bench Secretary Grade-I and they are directed to join their duties of Bench Secretary Grade-I, at their present place of posting (Allahabad or Lucknow), mentioned against their names, within 10 days from the date of issuance of notification:

Sl. no.	Roll No. allotted	Emp No.	Name	Post	Place of Posting as B.S. Grade-I
1	2	3	4	5	6
(S/Sri/Ms.)—					
1.	318	10545	Somesh Bhardwaj	R.O.	Allahabad
2.	353	10726	Varun Tripathi	R.O.	Allahabad
3.	310	10506	Shivendra Singh Verma	R.O.	Lucknow
4.	208	10553	Pradeep Kumar	R.O.	Allahabad
5.	369	10414	Vivek Anand Dwivedi	R.O.	Allahabad
6.	192	10710	Nischal Verma	R.O.	Lucknow
7.	014	10440	Adhikar Bharadwaj	R.O.	Allahabad
8.	308	10507	Shivam Kumar	R.O.	Allahabad
9.	235	10544	Raj Kishor Singh	R.O.	Allahabad
10.	232	10600	Rahul Singh	R.O.	Allahabad
11.	289	10520	Satish Kumar Singh	R.O.	Allahabad
12.	311	10608	Shrish Mohan Gautam	R.O.	Allahabad
13.	199	10575	Pal Akhilesh Kailashnath	R.O.	Allahabad
14.	306	10649	Shishpa Singh Rana	R.O.	Allahabad
15.	074	10599	Ashish Gautam	R.O.	Allahabad
16.	233	10526	Rahul Yadav	R.O.	Allahabad
17.	241	10694	Rakesh Kumar Yadav	R.O.	Allahabad
18.	094	10560	Brijendra Kumar	R.O.	Allahabad
19.	130	10487	Hemant Kumar Garg	R.O.	Lucknow
20.	107	10445	Devesh Kumar	R.O.	Allahabad
21.	127	10591	Gyan Prakash Mishra	R.O.	Lucknow
22.	154	10593	Kumar Sankalp	R.O.	Allahabad
23.	062	10432	Aravind Kumar Yadav	R.O.	Allahabad
24.	276	10489	Sanjay Kumar Mishra	R.O.	Lucknow
25.	172	10418	Mohd Danish	R.O.	Allahabad
26.	102	10542	Deepali Mishra	R.O.	Allahabad

1	2	3	4	5	6
			(S/Sri/Ms.)—		
27.	347	10574	Tejasvi Singh	R.O.	Allahabad
28.	161	10538	Manish Kumar Singh Yadav	R.O.	Allahabad
29.	268	10543	Sandeep Chaurasiya	R.O.	Allahabad
30.	266	10491	Sanchit Kumar Srivastava	R.O.	Allahabad
31.	017	10619	Ajay Kaushik	R.O.	Allahabad
32.	294	10643	Saurabh Kumar Tiwari	R.O.	Lucknow
33.	363	10631	Vipin Chandra	R.O.	Allahabad
34.	193	10603	Niteesh Kumar Pathak	R.O.	Allahabad
35.	136	10596	Jitendra Kumar Yadav	R.O.	Allahabad
36.	041	10476	Amit Srivastava	R.O.	Lucknow
37.	356	10504	Vikas Kumar Dubey	R.O.	Allahabad
38.	198	10486	Omkar Maurya	R.O.	Allahabad
39.	210	10720	Pragya Bhadauriya	R.O.	Allahabad
40.	325	10551	Sujeet Kumar Maurya	R.O.	Allahabad
41.	373	10693	Yadav Manojkumar Suryanath	R.O.	Allahabad
42.	167	7991	Mayank Shekhar Singh	R.O.	Lucknow
43.	109	10541	Dharmendra Kumar	R.O.	Allahabad
44.	290	10581	Satyendra Kumar	R.O.	Allahabad
45.	242	10701	Raman Tripathi	R.O.	Allahabad
46.	139	10718	Juhi Tiwari	R.O.	Lucknow
47.	119	10618	Durgesh Kumar Verma	R.O.	Allahabad
48.	364	10442	Vipin Mishra	R.O.	Allahabad
49.	113	10449	Dibyanshu Kumar	R.O.	Allahabad
50.	092	10704	Bhanu Pratap	R.O.	Allahabad
51.	156	10490	Lav	R.O.	Lucknow
52.	259	10530	Rohit Kumar	R.O.	Allahabad
53.	334	10517	Sushil Dwivedi	R.O.	Allahabad
54.	261	10554	Rohit Rajan Patel	R.O.	Allahabad
55.	012	10607	Abhishek Verma	R.O.	Lucknow
56.	157	10721	Lovy Kabir Sharma	R.O.	Allahabad
57.	305	10686	Shekhar Saxena	R.O.	Lucknow
58.	001	10709	Aadil Shamim	R.O.	Allahabad

1	2	3	4	5	6
			(S/Sri/Ms.)—		
59.	332	10749	Sushant Kumar Singh	R.O.	Allahabad
60.	371	10605	Vivek Mallikarjun	R.O.	Allahabad
61.	123	10739	Gaurav Srivastava	R.O.	Allahabad
62.	082	7705	Ashutosh	R.O.	Allahabad
63.	292	10743	Saurabh Gupta	R.O.	Lucknow
64.	029	10598	Akhlesh Kumar	R.O.	Allahabad
65.	155	10455	Lalit Mohan	R.O.	Allahabad
66.	178	10438	Mohit Agarwal	R.O.	Allahabad
67.	352	10450	Vaibhav Verma	R.O.	Lucknow
68.	336	10474	Sushil Kumar	R.O.	Allahabad
69.	194	10460	Nitin Kumar	R.O.	Allahabad
70.	260	7700	Rohit Misra	R.O.	Lucknow
71.	375	8014	Yash Dwivedi	R.O.	Lucknow
72.	264	10457	Sagun Gupta	R.O.	Allahabad
73.	329	8006	Sunny Kumar	R.O.	Lucknow
74.	236	10630	Rajani Kant	R.O.	Allahabad
75.	237	10483	Rajat Maheshwari	R.O.	Lucknow
76.	355	10615	Vijay Narayan Pathak	R.O.	Allahabad
77.	110	10613	Dharmendra Kumar	R.O.	Allahabad
78.	191	7606	Nimit Jain	R.O.	Lucknow
79.	243	7791	Ramesh Chandra	R.O.	Lucknow
80.	142	7994	Karunesh Kumar Pathak	R.O.	Lucknow
81.	196	10416	Nizam Siddiqui	R.O.	Allahabad
82.	036	10735	Aman Pandey	R.O.	Allahabad
83.	104	7944	Deo Narayan Pathak	R.O.	Allahabad
84.	240	10723	Rajesh Kumar	R.O.	Allahabad
85.	056	7925	Anup Kumar Tripathi	R.O.	Allahabad
86.	219	10509	Prem Pal Thakur	R.O.	Lucknow
87.	263	10627	Roopesh Kumar Verma	R.O.	Allahabad
88.	177	7658	Mohd. Tahseen	R.O.	Allahabad
89.	049	10552	Ankit Pal	R.O.	Allahabad

1	2	3	4	5	6
			(S/Sri/Ms.)—		
90.	057	7726	Anup Singh Pal	R.O.	Lucknow
91.	160	10536	Manish Kumar	R.O.	Allahabad
92.	297	10647	Shabnam Ansari	R.O.	Lucknow
93.	278	10685	Sanjay Kumar Pandey	R.O.	Allahabad
94.	176	7907	Mohd Umar Ashraf	R.O.	Allahabad
95.	067	10573	Arun Kumar Kaushal	R.O.	Allahabad
96.	093	7546	Binod Singh	S.O.	Lucknow
97.	061	10583	Anurag Singh	R.O.	Allahabad
98.	103	7939	Deepankar Singh	R.O.	Allahabad
99.	114	7884	Dileep Kumar Singh	R.O.	Allahabad
100.	333	10588	Sushil Dimri	R.O.	Allahabad
101.	145	10637	Km. Deep Rashmi Gupta	R.O.	Allahabad
102.	007	7766	Abhishek Gupta	R.O.	Allahabad
103.	095	7783	Chandan Kumar Sahni	R.O.	Lucknow
104.	020	10748	Ajeet Kumar Singh	R.O.	Lucknow
105.	021	10113	Ajeet Kumar Sonwani	R.O.	Allahabad
106.	274	7861	Sanjay Kant Kumar	R.O.	Allahabad
107.	182	10765	Mridul Raj Chaurasia	R.O.	Allahabad
108.	100	10620	Deepak Kumar	R.O.	Lucknow
109.	163	10616	Manoj Kumar	R.O.	Allahabad
110.	372	10584	Vivek Prakash Singh	R.O.	Lucknow
111.	166	7533	Manoj Kumar Sharma	S.O.	Allahabad
112.	309	10736	Shivdeep Dwivedi	R.O.	Lucknow
113.	117	10564	Divya Srivastava	R.O.	Allahabad
114.	214	10444	Prashant Kumar Singh	R.O.	Allahabad
115.	009	10738	Abhishek Kumar Panday	R.O.	Allahabad
116.	138	7928	Jitendra Singh Yadav	R.O.	Lucknow
117.	043	10570	Anil Kumar	R.O.	Allahabad
118.	279	7566	Sanjay Kumar Yadav	S.O.	Lucknow
119.	060	10580	Anurag Kumar	R.O.	Allahabad
120.	187	7934	Neeraj Kant Sahu	R.O.	Lucknow

1	2	3	4	5	6
(S/Sri/Ms.)—					
121.	188	7646	Neeraj Kumar	A.R.O.	Lucknow
122.	283	7856	Santosh Kaushal	R.O.	Allahabad
123.	135	7545	Jitender Kumar	S.O.	Allahabad
124.	378	9107	Zia Abbas	R.O.	Allahabad
125.	226	7890	Priyesh Gond	R.O.	Allahabad
126.	207	7929	Prabhat Kumar	R.O.	Allahabad
127.	028	7981	Akhilesh Kumar Verma	R.O.	Lucknow
128.	079	7922	Ashok	R.O.	Allahabad
129.	245	10458	Ranjeet Chaurasia	R.O.	Allahabad

Under the orders of Hon'ble the Chief Justice, the aforementioned 60 Bench Secretaries (*i.e.* from serial number '01 to 60'), are hereby directed to report to B.S. Section, after taking over charge, at their respective place of posting (Allahabad or Lucknow). Further, the remaining 69 Bench Secretaries (*i.e.* from serial number '61 to 129'), are hereby directed that after taking over charge, they shall continue performing seal work in their present section, at their respective place of posting (Allahabad or Lucknow). The candidature of the candidates, who do not join their duties as Bench Secretary Grade-1, within 10 days in pursuance of the instant notification, shall stand forfeited.

June 02, 2025

No. 17—From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7175	Dr. Kaushal Kishor

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

No. 18—From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar in pay scale Level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3357	Smt. Arti

(The promotion will be subject to final decision of the Hon'ble Court in Civil Misc. Writ Petition No. 6393 of 2021 'Mahendra Singh Vs. Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and others').

No. 19—From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar in pay scale Level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	6077	Vivek Srivastava
2	7138	Rajendra Prakash Yadav

(The promotion will be subject to final decision of the Hon'ble Court in Writ Petition No. 59420/2015 'Sanjai Srivastava and others Vs. Hon'ble Allahabad High Court and others' connected with Writ Petition No. 47845/2017 'Sanjai Srivastava and others Vs. Hon'ble Allahabad High Court through its Registrar General and others').

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 20—From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar in pay scale Level-12 (Rs.78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	6099	Piyush Kant
2	7015	Pashupati Nath Verma

No. 21—From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7193	Sameer Jaiswal
2	7194	Ravi Shanker Singh Bisht, <i>Lko.</i>

No. 22—From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Ms)–
1	7346	Saurabh Srivastava
2	7655	Neelam Sinha
3	7664	Ranjita Singh

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court)

(In view of prevailing transfer policy, Sri Krishna Chandra (Emp. No. 3469), Registrar, Sri Rahul Agarwal (Emp. No. 4026), Joint Registrar, both posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad; Smt. Manvi Burnwal (Emp. No. 7449), Section Officer, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Rajendra Prakash Yadav (Emp. No. 7138), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Ravi Shanker Singh Bisht (Emp. No. 7194), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Assistant Registrar).

By Order of the Hon'ble Court,
Rajeev Bharti,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की अधिसूचना

14 अगस्त, 2025 ई0

सं0 1626/(भू0अ0)/न0म0पा0—प्रथम/लखनऊ—लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों/महायोजना मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद लखनऊ परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर ग्राम कल्ली पश्चिम में कुल 26.9647 हेक्टे. भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 220/(भू0अ0)/न0म0पा0—प्रथम/ लखनऊ, दिनांक 01 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 (7) के तृतीय प्रस्तर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के प्रस्तर 23(6) में दी गयी व्यवस्थानुक्रम में अधिसूचना सं0 1489/8—अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0पा0—1, दि0 2 जुलाई, 2025 द्वारा प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की अधिसूचना निर्गत करने हेतु समय-सीमा 12 माह को 50 दिन और विस्तारित किया गया है।

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13 अगस्त, 2025, जो जिला कलेक्टर लखनऊ द्वारा दि0 14 अगस्त, 2025 को अनुमोदित है, पर विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला लखनऊ तहसील सरोजनी नगर परगना लखनऊ ग्राम कल्ली पश्चिम के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टे. भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ की आख्या के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों/महायोजना मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद लखनऊ परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर ग्राम कल्ली पश्चिम के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

अनुसूची

क्र0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	2001 पी.	0.0183
2					2004 पी.	0.0243
3					2006 पी.	0.0831
4					2015 पी.	0.0426
5					2026 पी.	0.0140
6					2027 पी.	0.0100
7					2028 पी.	0.0200
8					2030 पी.	0.0277
9					2034 पी.	0.0200
10					2080 पी.	0.0839

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	2100 पी.	0.1827
12					2104	0.0160
13					2106 पी.	0.1200
14					2114 पी.	0.0015
15					2130 पी.	0.1540
16					2135 पी.	0.0456
17					2136 पी.	0.0337
18					2137 पी.	0.0390
19					2138 पी.	0.0050
20					2156 पी.	0.1675
21					2161 पी.	0.6100
22					2167 पी.	0.0750
23					2177 पी.	0.0980
24					2178 पी.	0.0439
25					2179 पी.	0.3022
26					2183 पी.	0.0942
27					2184 पी.	0.0744
28					2188 पी.	0.2585
29					2189 पी.	0.0234
30					2190 पी.	0.1256
31					2205 पी.	0.0496
32					2206 पी.	0.1600
33					2210 पी.	0.0322
34					2218 पी.	0.1044
35					2220 पी.	0.2859
36					2222 पी.	0.2272
37					2225 पी.	0.1417
38					2241 पी.	0.0483

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
39	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	2244 पी.	0.2253
40					2245 पी.	0.1340
41					2246 पी.	0.0344
42					2247 पी.	0.0080
43					2346	0.2124
44					2354ड़ पी.	0.0808
45					2364 पी.	0.0422
46					2380 पी.	0.0626
47					2381 पी.	0.0384
48					2383 पी.	0.1031
49					2385 पी.	0.0068
50					2387 पी.	0.0029
51					2388 पी.	0.4152
52					2389 पी.	0.0160
53					2391 पी.	0.0103
54					2396 पी.	0.0325
55					2397 पी.	0.1098
56					2398 पी.	0.0328
57					2399 पी.	0.0133
58					2400 पी.	0.0175
59					2401 पी.	0.0078
60					2402 पी.	0.0072

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
61	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	2409 पी.	0.1153
62					2411 पी.	0.0379
63					2426 पी.	0.0527
64					2439 पी.	0.6516
65					2440 पी.	0.0200
66					2441 पी.	0.0736
67					2847 क पी.	0.9194
68					2912 पी.	0.0087
69					2914 पी.	0.0419
70					2918 पी.	0.0059
71					2919 पी.	0.0039
72					2920 पी.	0.0008
73					2923 पी.	0.0125
74					2929 पी.	0.0249
75					2930 पी.	0.0067
76					2933 पी.	0.0088
77					2940 पी.	0.0084
78					2941 पी.	0.0104
79					2950 पी.	0.0056
80					2955 पी.	0.0176
81					2972	0.0172
82					2974 पी.	1.0742
83					2977 पी.	0.0125

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
84	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	2978 पी.	0.0836
85					2979 पी.	0.0296
86					3000 पी.	0.0408
87					3001 पी.	0.0909
88					3002 पी.	0.0046
89					3003 पी.	0.2854
90					3004 पी.	0.0188
90					3005 पी.	0.0515
91					3006 पी.	0.0197
92					3007क पी.	0.7275
93					3010 पी.	0.0534
94					3011 पी.	0.1229
95					3012 पी.	0.0504
96					3013 पी.	0.1084
97					3014 पी.	0.1259
98					3015 पी.	0.0902
99					3016 पी.	0.0373
100					3017 पी.	0.0914
101					3019 पी.	0.0171
102					3023 पी.	0.0076
103					3026 पी.	0.0081
104					3029 पी.	0.0011
105					3031 पी.	0.0016

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
106	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	3033 पी.	0.0314
107					3035 पी.	0.0404
108					3036 पी.	0.0044
109					3037 पी.	0.0027
110					3040 पी.	0.2612
111					3042 पी.	0.0036
112					3050 ड पी.	0.1012
113					3070 पी.	0.1994
114					3078 पी.	0.0138
115					3079 क पी.	0.0040
116					3080 पी.	0.5054
117					3089 पी.	0.2018
118					3091 पी.	0.1575
119					3093 पी.	0.0291
120					3104 पी.	0.0547
121					3108 पी.	0.0560
122					3119	0.0160
123					3220 पी.	0.2628
124					3234 पी.	0.1675
125					3236 पी.	0.1524
126					3262 पी.	0.3612
127					3266 पी.	0.0654
128					3270 पी.	0.1036

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
129	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	3273 पी.	0.2710
130					3287 पी.	0.0468
131					3306 पी.	0.0246
132					3307 पी.	0.0806
133					3310 पी.	0.2247
134					3318 पी.	0.3833
135					3319 पी.	0.1152
136					3320 पी.	0.3384
137					3328 पी.	0.1504
138					3330 पी.	0.0188
139					3344 पी.	0.1356
140					3347 पी.	0.0261
141					3366 पी.	0.0700
142					3384 पी.	0.0475
143					3385 पी.	0.0250
144					3388 पी.	0.0315
145					3396 पी.	0.0135
146					3397 पी.	0.0050
147					3453 पी.	0.4130
148					3454 पी.	0.2456

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
149	लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	कल्ली पश्चिम	3459 पी.	0.0713
150					3474 पी.	0.1248
151					3477 पी.	0.0527
152					3480 पी.	0.0585
153					3481 पी.	0.3607
154					3485 पी.	0.0810
155					3486 पी.	0.1488
156					3487 पी.	0.1362
					योग	17.1711

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ/कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), नगर महापालिका-प्रथम, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
(भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी बलिया**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना****अधिसूचना****21 अगस्त, 2025 ई०**

सं०—1207/आठ—वि०भू०अ०अ०/बलिया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, जल निगम (ग्रामीण), बलिया के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद बलिया में सतही स्रोत आधारित बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज के निर्माण हेतु तहसील बैरिया, परगना द्वाबा, ग्राम गोपालपुर में कुल 0-1010 हे० एवं हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज मीटर रूम के निर्माण हेतु तहसील सदर के ग्राम हैबतपुर में रकबा 0-0571 हे० तथा वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के निर्माण हेतु तहसील सदर के ग्राम कटरिया में रकबा 0-7543 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2— राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार/कलेक्टर बलिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

(अ) प्रथम दृष्टया समिति का मन्तव्य है कि प्रस्तावित परियोजना से लोक उद्देश्यों की पूर्ति होगी तथा सतही स्रोत आधारित बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज का निर्माण एवं हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज मीटर रूम का निर्माण तथा वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए लाभकारी होगा।

(ब) परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से समिति के प्रारम्भिक सम्वाद में पाया गया कि अधिकांश किसान अपनी भूमि परियोजना के पक्ष में बेचने को इच्छुक है, यदि उन्हें पर्याप्त मुआवजा अर्जित भूमि के लिये दिया जाये इसके अतिरिक्त ग्रामीण इस बात से सहमत है कि सतही स्रोत आधारित बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज का निर्माण एवं हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना में इण्टेकवेल के एप्रोच ब्रिज मीटर रूम का निर्माण तथा वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए लाभकारी होगा।

4— भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है—

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बलिया	बैरिया	द्वाबा	गोपालपुर	239	0.1010
2	„	सदर	सदर	हैबतपुर	402	0.0211
3	„	„	„	„	403	0.0237
4	„	„	„	„	736 / 607	0.0123
5	„	„	„	कटरिया	318	0.4440
6	बलिया	सदर	सदर	कटरिया	322	0.2950
7	„	„	„	„	314	0.0085
8	„	„	„	„	315	0.0068
योग						0.9124

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बलिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
मंगला प्रसाद सिंह/कलेक्टर,
कलेक्टर बलिया।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BALLIA

Form-18

[Sub-rule (2) of the Rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

NOTIFICATION*August 21, 2025*

Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purposes of appropriate Government) is of the opinion that for construction of approach bridge of intake well in Belhari Village group piped drinking water scheme based on surface source in District-Ballia under State Drinking Water and Sanitation Mission for public purpose through Executive Engineer Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural), Ballia, a total area of 0.1010 hectare of land is required in Village Gopalpur, Tehsil-Bairia, Pargana-Dwaba and for construction of approach bridge meter room of intake well in Hnumanganj Village group piped drinking water scheme, an area of 0.0571 hectare of land is required in Village/Haibatpur, Tehsil Sadar and for construction of water treatment plant an area of 0.7543 hectare of land is required in Village Katariya, Tehsil-Sadar.

2. Social Impact Assessment study has been conducted by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendation has been submitted to the appropriate Government, which has been approved by the appropriate Government Collector Ballia on 21-08-2025.

3. The summary of Social Impact Assessment Report is as follows;

(A) Prima facie, the committee is of the opinion that the proposed project will fulfil public objectives and construction of approach bridge of intake well in Belhari Village group pipe drinking water scheme based on surface source and construction of approach bridge meter room of intake well and water treatment plant in Hanumanganj Village group pipe drinking water scheme will be beneficial for the health and social development of the residents of the area.

(B) In its preliminary interactions with farmers affected by land acquisition for the project, the Committee found that most of the farmers were willing to sell their land for the project if they were paid adequate compensation.

Apart from this, the Villagers agree that construction of approach bridge to intake well in surface source based Belhari Village group pipe drinking water scheme and construction of approach bridge meter room to intake well in Hanumanganj Village group pipe drinking water scheme and construction of water treatment plant will be beneficial for the health and social development of the residents of the area.

4. No Family are likely to be displaced due to the land acquisition for this project.

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose—

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Ballia	Bairiya	Dwaba	Gopalpur	239	0.1010
2	"	Sadar	Sadar	Haibatpur	402	0.0211
3	"	"	"	"	403	0.0237
4	Ballia	Sadar	Sadar	Haibatpur	736/607	0.0123
5	"	"	"	Katariya	318	0.4440
6	"	"	"	"	322	0.2950
7	"	"	"	"	314	0.0085
8	"	"	"	"	315	0.0068
Total :					08	0.9124

6.- The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, Take levels of any land,, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7.. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the date of the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction *or* cause any transaction of land *i.e* sale/purchase, specified *in* the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note- A plan of land may be inspected in the Office of Collector for the purpose of acquisition.

Mangla Prasad Singh,
Appropriate Government/Collector,
Ballia .

कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

19 जून, 2025 ई०

सं० 3175/वि०भू०अ०अ०-बहराइच-कमाण्डेंट, 42वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, बहराइच के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सीमा चौकी रुपईडीहा के निर्माणार्थ परियोजना हेतु ग्राम केवलपुर, परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच में स्थित 0.6220 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-2748/वि०भू०अ०अ०-बहराइच/2024-25 दिनांक 05 मार्च, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अंतिम रूप से राजकीय गजट उ०प्र० में दिनांक 07 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर बहराइच को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ बहराइच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05 जून, 2025 पर विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित ग्राम केवलपुर, परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच में स्थित की शून्य हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बहराइच	नानपारा	चर्दा	केवलपुर	714मि०	0.0760
2	"	"	"	"	705	0.546
योग.						0.622

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बहराइच	नानपारा	चर्दा	केवलपुर	शून्य	शून्य

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा बहराइच के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
भूमि अध्यापित प्रयोजनार्थ,
बहराइच।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 15, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास, परिषद (प्रशासन अनुभाग)

सूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2025

सं० 1364/प्रशा०-एक-उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद प्रयोगशाला तकनीकी सर्वग सेवा विनियमावली, 1999 में आयु, शैक्षणिक अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल की 270 वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2025 की मद संख्या-270/06 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा० निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया है -

वर्तमान विनियम

संशोधित विनियम

भाग-4

भाग-4

7-आयु :- "सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जाती है उस वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष से कम व 32 वर्ष के मध्य आयु होनी चाहिए किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

7- आयु :- "सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

वर्तमान विनियम**संशोधित विनियम****भाग-4**

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा-अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निश्चित की जाये।

(ख) परिषद के छटनी कर दिये गये कर्मचारियों तथा ऐसे परिषद कर्मचारी जो सेवा में आने की अर्हता रखते हो तथा इच्छुक हो के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में उच्च आयु सीमा को शिथिल कर सकता है, यदि वह इसे न्यायपूर्ण व्यवहार के हित में आवश्यक समझता हो।”

9-शैक्षिक अर्हताएं-

“सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान का स्नातक होना चाहिए। उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए।

हाईस्कूल से स्नातक तक किन्हीं दो परीक्षा में कम से कम प्रतिशत अंक, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये होना आवश्यक है।

टिप्पणी-किसी अभियंत्रण संगठन में निर्माण कार्य के प्रोजनार्थ अपेक्षित वस्तुओं की जाँच करने में प्रयोगशाला या क्षेत्र कार्य में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।”

भाग-5**भर्ती की प्रक्रिया**

13-रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना :- अपर/संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव भर्ती के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का तथा विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का भी निर्धारण करेंगे। रिक्तियाँ सेवा निगमन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से चयनित की जा सकती है।”

14- सीधी भर्ती के लिए कार्यविधि:-

“1. भर्ती के प्रयोगार्थ आवास आयुक्त एक चयन समिति का गठन करेंगे।

भाग-4

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा-अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निश्चित की जाये।”

(ख) निरसित

(ग) निरसित

9- शैक्षणिक अर्हताएं-

“सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान का स्नातक होना चाहिए। उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए।”

भाग-5**भर्ती की प्रक्रिया**

13-रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना :-

रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हेतु अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जायेगा।

14- सीधी भर्ती के लिए कार्यविधि:-

1. सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

वर्तमान विनियम**संशोधित विनियम****भाग-5****भाग-5**

2. चयन समिति आवेदन-पत्रों की छानबीन करेगी और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए आहूत करेगी।

2. चयन का आधार— लिखित परीक्षा

टिप्पणी— प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1—हिन्दी, 2—साधारण गणित, 3—रसायन विज्ञान पर प्रतियोगितात्मक परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं नियम ऐसे होंगे जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाये।

3. अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को सारणी द्वारा कर लिए जाने के बाद चयन समिति भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व रखे जाने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए इतने अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति ठीक समझें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगी।

4. चयन— समिति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंक योग से प्रकट योग्यता क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा और यदि लिखित परीक्षा के भी अंक समान हो तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

15— शुल्क/फीस—“सेवा के सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

15— शुल्क/फीस—उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार।

टिप्पणी—इन विनियमों के प्रख्यापन के दिनांक को निर्धारित शुल्क का मानक इन विनियमों के परिशिष्ट “क” में दे दिया गया है।

2—अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग सेवा विनियमावली, 1999 में भाग-4 बिन्दु संख्या-7 आयु, बिन्दु संख्या-9 शैक्षणिक अर्हता एवं भाग-5 बिन्दु संख्या-13, 14 एवं 15 भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास, परिषद (प्रशासन अनुभाग)

सूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2025

सं0 1410/प्रशा0-एक-उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद लेखपाल एवं सर्वेयर सेवा विनियमावली-1999 में अर्हताएं, आयु एवं भर्ती की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 270वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2025 की मद संख्या 270/06 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया है -

वर्तमान विनियम

भाग-चार-अर्हताएं

8- अर्हताएं:- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य और अधिमानी अर्हताएं होनी चाहिए:-

(एक) सर्वेयर-

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

(ख) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 02 वर्षीय सर्वेयर सार्टीफिकेट या समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता।

(दो) लेखपाल-

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

(ख) पटवारी या लेखपाल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

10-आयु-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को, चूकि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

संशोधित विनियम

भाग-चार-अर्हताएं

8- अर्हताएं:- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य और अधिमानी अर्हताएं होनी चाहिए :-

(एक) सर्वेयर-

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा।

एवं

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आर्कीटैक्चर (सर्वेयर) में डिप्लोमा।

10- आयु-“सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

वर्तमान विनियम**संशोधित विनियम****भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया****भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया**

14-(i) उक्त पदों पर सीधी भर्ती तीन सदस्सीय एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14-(i) उक्त पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(ii) चयन समिति रिक्त पदों को प्रचलित दैनिक पत्रों मंच विज्ञापित करेगा तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जाँचोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र ठीक पाए जाते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगी।

(ii) चयन का आधार— लिखित परीक्षा

(iii) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 25-25 अंकों के 4 खण्ड होंगे जिनमें सामान्य ज्ञान, प्रारम्भिक गणित, हिन्दी भाषा तथा यथास्थिति लेखपाल/सर्वेयर के पद के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।

(iv) लिखित परीक्षा में रक्तियों के तीन गुनी संख्या में सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(v) साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण शासनादेशों के अनुसार होगा।

(vi) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों का योग करने के उपरान्त श्रेष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा रिक्त पदों की संख्या के बराबर योग्यता क्रम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र भेजा जायेगा।

(vii) बराबर अंक पाने की दशा में अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरियता दी जायेगी।

(viii) रक्तियों के 25% के बराबर एक प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी जो परीक्षाफल घोषित होने के एक वर्ष तक वैध होगी।

2— अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद लेखपाल एवं सर्वेयर सेवा विनियमावली, 1999 में भाग-4 अर्हताएं बिन्दु संख्या-8 अर्हताएं, बिन्दु संख्या-10 आयु एवं भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया बिन्दु संख्या-14 में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

कार्यालय, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर

11 जून, 2025 ई0

सं0 445/न0प0बड़0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी विन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/ सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 10 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या-18 एवं दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्र चिन्ह दिनांक 16 फरवरी, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी है। निम्नवत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

संयुक्त प्रान्त नगर पंचायत अधिनियम, 1916 यू0पी0, ऐक्ट धारा-298 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर सीमान्तर्गत उपविधि शुल्क नियमावली बनायी गयी है।

उपविधियों के प्रारूप उक्त ऐक्ट धारा-301(1) के अधीन समस्त नगर वासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से 30 दिवस के लिए पृष्ठांकित किया जा रहा है। सभी आपत्तियों एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर को सम्बोधित इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त होंगे।

उप नियमावली

नाम एवं विस्तार—यह उपनियमावली नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं भूमि, दीवाल और भवन सार्वजनिक स्थलों पर सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण एवं प्रदर्शन के लिये व विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट या इलेक्ट्रानिक मुक्त/परिवर्तनशील संदेश चिन्ह सहित सम्बन्धी उपनियमावली सन् 2025 कहलायेगी।

(क) अधिशासी अधिकारी, का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के अधिशासी अधिकारी से हैं।

(ख) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से हैं।

(ग) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से हैं।

(घ) नगर पंचायत सीमा का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से हैं।

(ङ) शुल्क/जुर्माना शुल्क अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर के अधिशासी अधिकारी से हैं।

(च) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से हैं।

1—**शीर्षक**—यह उपनियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक या नगर पंचायत विहित प्राधिकारी स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

2—**परिभाषाएँ**—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हों तब तक उपनियमावली में उपनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पंचायत अधिनियम, 1916 (स0प्र0) ऐक्ट-1916 से हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

1—नाला/नाली सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

2—नाला/नाली सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क 500 प्रति प्रकरण।

प्रकरण अनसूची-1

1—मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

2—मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 300.00 प्रति प्रकरण।

3—चाट/फल, मिठाई दुकान आदि पर डस्टबिन न होने पर शुल्क रु0 250.00 प्रति प्रकरण।

4—शादी, विवाह सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

5—कूड़ा-कचरा जलाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क मु0 रु0 2,000 प्रति प्रकरण।

6—सड़क के किनारे मोरंग, बालू, ईट, भवन सामग्री मलवा पाये जाने पर नालियों के उपर अतिक्रमण सड़क के किनारे गुमटी, खोमचा इत्यादि व सड़क के किनारे फूटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन/प्रकरण।

7—डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर द्वारा अनुबन्धित संस्था होने पर यूजर चार्ज के रुप में घरेलू शुल्क रु0 60.00 प्रतिमाह एवं व्यवसायिक शुल्क रु0 150.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस या ब्लक वेस्ट जनरेट रु0 500.00 प्रति गेस्ट हाउस प्रति बुकिंग।

8—नगर पंचायत सीमा में निर्मित सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के टायलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज रु0 5.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

9—नगर पंचायत में स्थित नाला/नाली सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पुनरावृत्ति की स्थिति तक जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।

10—नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर सीमान्तर्गत खुलें में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 250.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति व्यक्ति।

11—नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमा/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 देय होगा।

प्रीति
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बड़हलगंज,
गोरखपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर

सं0 446/न0प0बड़0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा विविध नियमावली नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध नियमावली प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता हैं। तत्क्रम में नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 10 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या-18 एवं दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्र चिन्ह दिनांक 15 फरवरी, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त विविध नियमावली को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी हैं। निम्नवत विविध नियमावली को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विविध नियमावली

1—नगर पंचायत बड़हलगंज निर्गत प्रमाण-पत्र पर (जन्म-मृत्यु को छोड़कर) रु0 200 (दो सौ रुपया) मात्र प्रति प्रमाण-पत्र देय होगा।

2—नगर पंचायत सीमा में आयोजित नुमाइश/मेला/प्रदर्शनी निजी जमीन मकान आदि पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

3—नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला/नाली/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पाँच सौ रुपया) मात्र तक हो सकता है पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र चार्ज किया जायेगा। बार-बार पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 चार्ज किया जायेगा।

4—नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर की सीमा के अन्तर्गत नगर पंचायत की दुकानें/भू-खण्ड आदि के किराये का पुनः निर्धारण प्रति पाँच वर्ष में किया जायेगा। जिन आवंटित दुकानों की समय-सीमा उल्लिखित नहीं है उनके किराये का निर्धारण भी प्रति पाँच वर्ष में किया जायेगा।

5—नगर पंचायत की दुकान/भू-खण्ड आदि का किरायानामा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराना होगा।

6—नगर पंचायत स्वामित्व पर दुकान करने वाले व्यक्ति रु0 10.00 प्रति वर्गफीट की दर से प्रतिमाह किराया देय होगा, जो सिर्फ भूमि का किराया माँगा जायेगा युक्त नियम किसी प्रकार के स्वामित्व का निर्धारण नहीं करेगा।

7—नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में यदि 10 वर्ष पूर्व से नगर पंचायत के स्वामित्व के किसी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा पाये जाने पर भू-सर्किल रेट से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष जुर्माना देय होगा।

8—नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में सीवर सेक्शन मशीन प्रति चक्कर मु0 रु0 2,500.00 एवं नगर के बाहर 5 किमी0 तक मु0 रु0 3,500.00 देय होगा।

9—जलापूर्ति हेतु निकाय टैंकर उपयोग शुल्क रु0 500.00 मात्र प्रति चक्कर देय होगा। अग्रिम बुकिंग की स्थिति में किसी शासकीय आदेश/कार्य की दशा में बुकिंग निरस्त कर दी जायेगी।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रु0 25.00 (पच्चीस रु0 मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

प्रीति
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बड़हलगंज,
गोरखपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर

11 जून, 2025 ई0

सं0 458/न0प0बड़0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा भवन मानचित्र उपविधि सूचना/नियमावली नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र उपविधि सूचना/नियमावली प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 10 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या-18 एवं दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं राष्ट्र चिन्ह दिनांक 20 फरवरी, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त भवन मानचित्र उपविधि सूचना/नियमावली को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी है। निम्नवत भवन मानचित्र उपविधि सूचना/नियमावलीको गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

भवन मानचित्र उपविधि सूचना/निम्नावली

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर सीमा अन्तर्गत भवन के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिए पुनः निर्माण, संशोधन, परिवर्तन के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि का पाण्डूलेखा नगर पंचायत की धारा-301(2) के अन्तर्गत तैयार करके विहित रीति से प्रकाशित करती है। इस उपविधि का प्रतिकूल प्रभाव जिन लोगों पर पड़ने की सम्भावना हो, उन व्यक्तियों से आपत्ति व सुझाव इस उपविधि की प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमन्त्रित किया जाता है, निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित समय के अन्दर अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर को सम्बोधित किया जाना चाहिए। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

1—**संक्षिप्त नाम व विस्तार**—यह उपविधि नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर की भवन निर्माण उपविधि सन् 2022 के नाम से पुकारी जायेगी। इसका प्रभाव नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2—**प्रभाव**—यह उपविधि नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर के नाम से शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर से हैं।

4—अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर के अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5—नगर पंचायत अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

6—नक्शा नफीस/भवन मानचित्र कर/ड्राफ्टमैन का अभिप्राय नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्राकार/नक्शा नफीस से है।

7—भवन का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुनर्निर्माण/संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

8—नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत के पूर्व अनुमति कोई भी निर्माण न करायेगा, न अहाता, गैरेज या अन्य किसी भी प्रकार के भवन का रूप देगा।

9—नगर पंचायत बड़हलगंज से नक्शा स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी होगी—

(अ) स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जोकि रु0 100.00 के कोर्ट फीस के स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ब) इस प्रार्थना-पत्र के नाम प्रार्थी के नाम प्रार्थी को दो स्केली मानचित्रों में भूमि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा के बनाने के पूर्व भूमि की क्या दशा है एवं भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य कराना चाहता है, उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए यह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग पूर्व नवनिर्माण कराना चाहता है।

(य) जिस ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवायेगा उसी से भवन की अनुमति लागत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(र) नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिंट होंगे और तीसरा नक्शा जो नगर पंचायत में रखा जायेगा वह क्लॉथ पेपर होगा।

10—कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क व नाली/नाला से 6 फीट तथा तंग गलियों में 3 फीट भूमि छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।

11—भवन में इस प्रकार के जंगले या वेन्टिलेटर लगवाना अनिवार्य होगा, जिससे धूप तथा आवागमन हों सके।

12—इस प्रकार का जंगला व खिड़की नही लगवायेगें, जिससे कि बराबर में रहने वाले को बेपर्दगी न महसूस हो।

13—भवन से निकलने वाला अतिरिक्त जल की निकासी भवन निर्माता द्वारा पाईप के माध्यम से सरकारी नाली तक पहुँचाया जायेगा। यदि वहाँ पर सरकारी नाली नही है तो प्रार्थी को उसके लिए सोकपिट अपनी भूमि में बनवाना होगा।

14—भवन नक्शा की स्वीकृति के लिए अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष समक्ष अधिकारी होगा। यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए होगी। यह निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नही होता है, तो प्रार्थी कारण स्पष्ट करते हुए नगर

पंचायत में अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व में फीस जमा की है, उसका 1/2 भाग पुनः फीस के रूप में जमा करना होगा। यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी, इस 6 माह की अवधि बढ़ाने के लिए अधिशासी अधिकारी समक्ष अधिकारी होंगे।

15—जैसे भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा, वैसे ही प्रार्थी नगर पंचायत को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त ही निवास करेगा।

16—भवन निर्माण की दरें—

रु0 50,000.00 (पचास हजार) से रु 5,00,000.00 (पाँच लाख) तक लागत पर — 0.25%

रु0 5,00,000.00 (पाँच लाख) से रु0 10,00,000.00 (दस लाख) तक लागत पर — 0.50%

रु0 10,00,000.00 (दस लाख) से रु0 20,00,000.00 (बीस लाख) तक लागत पर — 1%

रु0 20,00,000.00 (बीस लाख) से रु0 1,00,00,000.00 (एक करोड़) तक लागत पर — 1.25%

(एक करोड़) से अधिक लागत पर — 1.50%

17—होटल, रेस्टोरेन्ट, व्यवसायिक भवन आदि मानचित्र स्वीकृति के पूर्व प्रार्थी को पर्यावरण, वाहन पार्किंग, अग्निशमन आदि का भी उल्लेख करना होगा।

नोट—युक्त मानकों के अनुसार नक्शा स्वीकृति के उपरान्त भवन न बनाये जाने के कारण नक्शा को अस्वीकृति या निरस्त बिना कारण बताये समक्ष अधिकारी को होगा।

18—प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का निर्माण स्वीकृति प्लान के अनुसार करेगा/करेगी।

19—बारजा, सीढ़ी, छज्जा अपनी भूमि में निकालेगा।

20—मानचित्र की स्वीकृति की अवधि 60 दिन होगी।

21—विवाद/राजस्व विभाग से पत्रावली न प्राप्त होने की दशा में उक्त अवधि लागू नहीं होगी।

22—स्वीकृति मानचित्र भू-स्वामित्व का साक्ष्य नहीं होगा।

23—प्रार्थी/प्रार्थिनी नाला, सरकारी भूमि व विवादित भूमि पर निर्माण नहीं करेगा। अवैध निर्माण की दशा में स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24—यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहाँ तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

25—(अ) भवन निर्माण संशोधन, पुनिर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 178 क अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिससे सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलीवेशन कम से कम दो सेलेक्शन/जलनिकास व्यवस्था प्लान सैण्टिक हैं कि ड्राइंग प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राइंग 1:100 के पैमाने ब्लू प्रिन्ट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

26—ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रतिवर्ष रु0 2,000.00 शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रु0 100.00 की धनराशी न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

27—नगर पंचायत द्वारा स्वीकृति मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

28—नगर पंचायत द्वारा स्वकृति मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और दण्ड रु0 1,000.00 वसूल किया जायेगा।

29—प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

30—उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

31—नगर पंचायत द्वारा स्वीकृति भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

32—यदि निर्माण कार्य नियम के विपरित अथवा स्वीकृति मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिशाली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

33—किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा हो तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि यह उसे हटवा दे।

34—रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया लागू करना होगा।

35—कतिपय मामलों में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-180 के में आमोद/धार्मिक स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

36—मानचित्र हाई-वे, PWD अथवा सिंचाई विभाग के बाँध के किनारे पास कराने हेतु उक्त विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।

दण्ड

नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत यह आदेश देती है कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जावे तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रुपया 25.00 तक हो सकेगा।

प्रीति
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बड़हलगंज,
गोरखपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर

सं0 459/न0पं0बड़0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा सार्वजनिक सूचना नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचनाप्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 10 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या-18 एवं दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्र चिन्ह दिनांक 20 फरवरी, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी है। निम्नवत सार्वजनिक सूचना को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-912/नौ-9-2024-85/05 टी0सी0-01 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर), नियमावली 2024 को अन्तिम रूप से प्राख्यापित कर दिया गया है। यह नियमावली उ0प्र0 के समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी। उक्त नियमावली के नियम-5(1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर की भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रत्येक समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट में) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट में) हेतु निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर न्यूनतम मासिक किराये की दर निर्धारित करती है। नियमावली के नियम-5 (2) के अनुसार अन्य अनावासीय भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमिका प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर नियमावली के नियम 05 उप नियम (1) अधीन नियत किराये मासिक दर का गुणांक होगा जैसा कि नियमावली के नियम 05(2) की अनुसूची की श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4 में उल्लेखित है। नियमावली के नियम-7 के उप नियम (2) के प्राविधानुसार भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर वार्षिक मूल्य से किसी भी दशा में 10% से कम नहीं होगा। भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर 10% से कम नहीं होगा। नियमावली के नियम-07(1) प्राविधानुसार कर का निर्धारण वार्षिक मूल्य की गणना के अनुसार किया जायेगा। प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया दर जन सामान्य के अवलोकनार्थ एवं आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियों को नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद-गोरखपुर के कार्यालय में व्यक्तिगत या पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या ई-मेल nagarpanchayatbarhaganj@gmail.com के माध्यम से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर की जायेगी। प्राप्त आपत्ति की कुल संख्या के 10% आपत्तियों का निस्तारण ही अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मासिक किराया दर जिसका प्रकाशन कराया जाना है (प्रति वर्ग फुट में) की सूची निम्नवत है—

स्वकर हेतु निर्धारित दर (सड़कों की चौड़ाई एवं भवन की स्थिति के अनुसार)

समस्त वार्डो	09 मी0 से कम चौड़ी सड़क	09 मी0 से 12 मी0 तक चौड़ी सड़क	12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क
पर लागू	पक्का भवन आर0 भवन सी0 सी0 छत	अन्य भवन भूमि/ भूखण्ड आर0 भवन भूमि/ भूखण्ड सी0 सी0 छत	कच्चा भवन भूमि/ भूखण्ड आर0 भवन भूमि/ भूखण्ड सी0 सी0 छत	खाली भवन भूमि/ भूखण्ड आर0 भवन भूमि/ भूखण्ड सी0 सी0 छत
प्रति वर्ग फीट				
	0.50	0.40	0.30	0.10
	0.60	0.50	0.40	0.20
	0.70	0.60	0.50	0.30
	0.80	0.70	0.60	0.40

नोट— अधिसूचना के प्रस्तर-7 के अधीनभवन/भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना की जायेगी। वार्षिक मूल्य पर 10% सामान्य गृहकर 7.5% जलकर तथा 2.5% जल निकास कर लागू होगा।

प्रीति
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बड़हलगंज,
गोरखपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर

सं0 489/न0पं0बड़0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा सार्वजनिक सूचना नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत बड़हलगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 10 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या-18 एवं दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्र चिन्ह दिनांक 07 मार्च, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर एक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुआ था। जिसके निस्तारण हेतु 15 दिन की समयावधि तथा अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी है। निम्नवत सार्वजनिक सूचना को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर ने अपने सीमान्तर्गत स्थित दुकानों व अन्य लाइसेंसियों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु उपविधि/उपनियम बनाया है। उक्त को सर्वसाधारण के समक्ष समाचार-पत्रों में आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जाता है, जिसकी अवधि 1 माह अर्थात् 30 दिन होगी। केवल

उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

परिभाषा— किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

(अ) यह उपनियमावली नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर की लाइसेंसिंग नियंत्रण उपनियमावली 2024 कहलायेगी।

(ब) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(स) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के प्रभारी अधिकारी से है।

(द) प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

(य) लाइसेंसिंग अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर होंगे।

उपनियम

1—यह उपनियम नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2—इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फ़ैक्ट्री तथा सड़क, नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों/नगर पंचायत द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थायी दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होंगे।

3—यह उपनियम लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलाएंगे।

4—कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किये बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेन्स उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5—लाइसेन्स हेतु आवेदन को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनाएं उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही लाइसेंसिंग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

6—लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिए 3 गुना या 5 वर्ष के लिए 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

7—प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लेवे।

8—लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता नगर पंचायत कार्यालय पर अपेक्षित धनराशि अधिकृत कर्मचारी को जमा कर आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करे।

9—केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इससे भिन्न होगा।

10—ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जाये।

11—नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

12—अधिशाली अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकते हैं।

13—जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उससे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14—इस उपनियम की शर्तों व दरों में मा0 सदन संशोधन कर सकती हैं, शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

15—प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होंगे।

16—अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा।

17—इन उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

18—यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नहीं बनवा लेते हैं तो 10 रु0 प्रतिदिन या 2 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

19—नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद लाइसेन्स शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।

20—लाइसेन्स सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिशाली अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21—लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

22—कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट, किसी गौशाला, सार्वजनिक शौचालय, खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्क्रमण करना होगा। होटल, रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक रहेगा।

23—प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालॉजी सेन्टर, एक्सरे, क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

24—किराया/निजी भार वाहन/यात्री वाहन, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

25—पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री एवं संग्रह के लिये पेट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहाँ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्स धारी को करना होगा। बुकिंग काउंटरों पर सिलेण्डर का जमाव नहीं होगा।

26—वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जाँच कराकर लाइसेन्स निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा।

27—केबिल टी0बी0/इण्टरनेट के लाइसेन्स धारी बिना नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेंगे।

28—सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

29—डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहाँ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा।

30—प्रत्येक जानवर मालिक के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैगिंग कराये जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे। जानवरों को इकट्ठा ले जाने व लाने पर स्वयं साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना, आदि होती है तो नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगी।

31—रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते हैं।

32—मिट्टाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ादान का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करनी होगी दुकान में रखी सामग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

33—प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिकटांगे।

34—कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

35—नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर लाइसेन्स दरें निम्न रूप से निर्धारित करते हैं—

क्र० सं०	लाइसेन्स की मद	दर
1	2	3
		रु०
	होटल-रेस्टोरेन्ट	
1	होटल, लाज तथा गेस्ट हाउस, धर्मशाला बारात घर	10,000.00
2	रेस्टोरेन्ट	1,000.00
3	सूक्ष्म जलपान की दुकान	500.00
4	भोजनालय व ढाबा	1,000.00
	नर्सिंग-होम	
5	नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल (20 बेड तक)	2,000.00
6	नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल (20 बेड के ऊपर)	5,000.00
7	पैथालॉजी सेन्टर	1,000.00
8	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00
9	प्राइवेट क्लीनिक/फिजियोथेरेपी क्लीनिक	1,000.00
10	एक्स-रे/अल्ट्रासाउण्ड/सिटी स्कैन/ई0सी0जी0	2,000.00
	परिवहन	
11	आटो-रिक्शा	100.00
12	ई-रिक्शा	100.00
13	बस	1,000.00
14	रिक्शा	50.00
15	चार पहिया ठेला-ठेली	100.00
16	हाथ-ठेला	50.00
17	व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित	500.00
	अन्य-व्यवसाय	
18	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड/इन्श्योरेन्स कम्पनी/प्राइवेट आफिस	5,000.00
19	बार/बीयर की दुकान	10,000.00
20	आइस फैक्ट्री	2,000.00
21	भू-बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	10,000.00
22	देशी शराब	10,000.00
23	विदेशी शराब	10,000.00
24	निजी विवाह घर/ऑडिटोरियम	5,000.00
25	पेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर)	10,000.00

1	2	3
		रु0
26	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन/गैस एजेन्सी, आटा चक्की	10,000.00
27	आटा चक्की	500.00
28	धुलाई(लॉन्ड्री)/डाइक्लीनर्स	300.00
29	कोल्ड स्टोर	5,000.00
30	ईट-भट्टा	5,000.00
31	इण्टरलाकिंग ईट कारखाना	3,000.00
32	मिठाई/पेठा आदि बनाने का कारखाना	500.00
33	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	1,000.00
34	लोहा टिम्बर/सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स	5,000.00
35	बिजली के सामान विक्रेता	500.00
36	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर विक्रेता	500.00
37	बेकरी	500.00
38	हेयर कटिंग सैलून,	300.00
39	ब्यूटी पार्लर	500.00
40	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
41	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
42	टेलरिंग हाउस	300.00
43	कोयला थोक विक्रेता	2,000.00
44	कोयला फुटकर विक्रेता	500.00
45	मसाला/पान कारखाना	2,000.00
46	पेन्ट्स की दुकान	500.00
47	ज्वैलर्स बड़े	2,000.00
48	ज्वैलरी आभूषण विक्रेता	1,000.00
49	डेरी फार्म	1,000.00
50	केवल इण्टरनेट/टी0वी0	1,000.00
51	अनाज तिलहन चीनी गुड़ थोक विक्रेता	500.00
52	अनाज तिलहन चीनी गुड़ फुटकर विक्रेता	200.00
53	टेन्ट हाउस	1,000.00
54	पान की दुकान	100.00
55	चाय की दुकान	200.00

1	2	3
		रु0
56	परचून/किराना दुकान थोक	500.00
57	परचून/किराना दुकान फुटकर	200.00
58	किताबों की थोक दुकान	500.00
59	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
60	लकड़ी के टाल की दुकान थोक	1,000.00
61	लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर	500.00
62	आरा मशीन	10,000.00
63	रेडियो/टीवी0 मरम्मत	200.00
64	फर्टिलाइजर शॉप	1,000.00
65	मिठाई की दुकान	200.00
66	चाट बताशों की दुकान	100.00
67	ड्राईफ्रूट विक्रेता	300.00
68	सब्जी/फल की दुकान	100.00
69	मसाले विक्रेता	100.00
70	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
71	बर्तन की दुकान थोक/फुटकर	500.00
72	कबाड़ खाना	500.00
73	रुई विक्रेता धुनाई मशीन	200.00
74	स्पेलर (तेल) घानी उद्योग	500.00
75	मेडीकल स्टोर बड़ा/थोक	500.00
76	अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	300.00
77	वैद्य व यूनानी दवा/हकीम की दुकान	300.00
78	होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान	300.00
79	मोटर पार्ट्स की दुकान/वाहनों की मरम्मत वर्कशाप	500.00
80	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित	200.00
81	पशु बाजार	1,000.00
82	वाहन शोरूम/एजेंसी/मॉल/शोरूम	5,000.00
83	प्रिंटिंग/फ्लेक्स दुकान	1,000.00
84	एडवरटाइजिंग फर्म/होर्डिंग	2,000.00
85	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नहीं हो सकें हैं।	500.00 से
		25,000.00 तक

दण्ड

उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2,1916 की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर यह निर्देश देती है कि उपविधियों किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 3,000/— (तीन हजार रुपये मात्र) अथवा लाइसेंस मद हेतु निर्धारित दर का दो गुना जो अधिक हो, तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा तो रु0 25/— (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

प्रीति

अध्यक्ष,

नगर पंचायत बड़हलगंज,
गोरखपुर।**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कुंज साहनी पुत्र त्रिलोकी साहनी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2081 4170 5054 में उसका नाम असरा सलमान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कुंज साहनी पुत्र त्रिलोकी साहनी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

त्रिलोकी साहनी पुत्र जयनाथ साहनी,
सा0 मु0 मुसरदह मोड़, थाना-कोतवाली,
तहसील मऊ नाथ भंजन, जिला-मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राधेश्याम पुत्र स्व0 मेवालाल है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6663 5182 9631 में मेरा नाम राम आसरे शर्मा पुत्र स्व0 मेवा लाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राधेश्याम पुत्र स्व0 मेवालाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राधेश्याम पुत्र स्व0 मेवालाल,
ग्राम रानी का पूरा, मौजा पश्चिमनारा,
पो0 प्रबनारा, तह0-सोरांव, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का शुद्ध नाम ओम प्रकाश यादव है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, तथा मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र सह-अंक प्रत्र (अनुक्रमांक-23124134/2022) में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र सह अंकपत्र (अनुक्रमांक-23729244/2024) में मेरे पिता का नाम प्रकाश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंशु यादव,
पुत्री श्री ओम प्रकाश यादव,
निवासी-ग्राम पटना पोस्ट कन्सो,
जिला बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिंह निशि कुमारी गजेन्द्र पुत्री गजेन्द्र सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4373 2113 1793 में मेरा नाम निशि राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिंह निशि कुमारी गजेन्द्र पुत्री गजेन्द्र सिंह पत्नी कौशिलेश कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिंह निशि कुमारी गजेन्द्र,
पत्नी कौशिलेश कुमार राय,
नि0-महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर 1,
नियर शिव मन्दिर, दिव्या नगर कालोनी,
खोराबार उर्फ सूबाबाजार कनराघाट,
गोरखपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कौशल त्रिपाठी पुत्र आलोक त्रिपाठी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6895 8398 5160 में उसका नाम नैतिक त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कौशल त्रिपाठी पुत्र आलोक त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आलोक त्रिपाठी,
पता-ग्राम व पोस्ट कन्धईपुर
तहसील लम्भुआ, जिला सुलतानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम चिराग सिंह पुत्र दिलीप सिंह है जो

उसके शैक्षिक अभिलेख तथा आधार कार्ड सं0-9503 6663 6211 में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम चिराग सिंह से बदलकर सिद्धराज सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को सिद्धराज सिंह पुत्र दिलीप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिलीप सिंह, पुत्र देवेन्द्र सिंह,
पलैट नं0-301, एन16/95ए-27,
गनपति धाम, कालोनी कोलुआ, विनयका,
छित्तपुर, वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिव्यांशु उपाध्याय (DIBYANSHU UPADHYAY) पुत्र विनोद उपाध्याय है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8578 4237 7830 में मेरा नाम दिव्याशु उपाध्याय (DIBYASHU UPADHYAY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिव्यांशु उपाध्याय (DIBYANSHU UPADHYAY) पुत्र विनोद उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिव्यांशु उपाध्याय पुत्र विनोद उपाध्याय,
ग्राम सददोपुर, थाना बक्शा,
पोस्ट बक्शा, जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति आर्य पुत्री राकेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8964 3513 5558 में उसका नाम

आकृति कुमारी आर्य हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति आर्य से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राकेश कुमार पुत्र संगम लाल,
नि0 18सी चक मुण्डेरा बेगमसराय,
मन्दिर के सामने आदर्श बस्ती इला0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी मिश्रा पुत्री स्व0 तेज प्रकाश है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—3516 6340 5008 में उसका नाम नीलम मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लक्ष्मी मिश्रा पुत्री स्व0 तेज प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आरती देवी पत्नी स्व0 तेज प्रकाश,
निवासी—16 मालवीय विहार बर्ग,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम शिव कुमारी है जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक—23226906/2020 में मेरी माता का नाम सुमन मौर्या अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कशिश मौर्या पुत्री संतोष कुमार मौर्या,
निवासी ग्राम बरौत पो0 बरौत,
हण्डिया जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋतुराज गौड़ पुत्र सुनील गौड़ है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7272 6974 5042 में उसका नाम रितिक (Ritik) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋतुराज गौड़ पुत्र सुनील गौड़ के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील गौड़ पुत्र बाल मुकुन्द,
निवासी—मेधा, मेढा जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक सिंह यादव पुत्र जवाहर लाल यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9621 4778 4239 में उसका नाम अर्पित सिंह यादव हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक सिंह यादव पुत्र जवाहर लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जवाहर लाल यादव,
538ख/341 शिव नगर रूपपुर,
खदरा लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अमृत वर्मा पुत्र शरद चन्द्र वर्मा जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8719 2745 5945 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमृत वर्मा पुत्र शरद चन्द्र वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शरद चन्द्र वर्मा,
प्लॉट नं0-7 ऐ, आराजी नं0 1570,
विद्या नगर गंगापुर कानपुर नगर।

है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पासपोर्ट सं0-H3855145 में मेरा नाम ऐरोन कुम्भकार (AARON KUMBHAKAR) अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जॉश्वा कुम्भकार पुत्र बिस्वरूप कुम्भकार के नाम से जाना और पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जॉश्वा कुम्भकार (JOSHUA KUMBHAKAR),
पुत्र बिस्वरूप कुम्भकार,
निवासी जेहोवा निस्सी, दीवानगंज रोड,
मऊ, पोस्ट एवं थाना- मोहनलालगंज,
जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नमामि सिंह (NAMAMI SINGH) पुत्री प्रमोद सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5190 4906 4147 में उसका नाम खुशी सिंह (KHUSHI SINGH) अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नमामि सिंह (NAMAMI SINGH) पुत्री प्रमोद सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रमोद सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह,
निवासी-ग्राम चक बबुल्लापुर मोहकम,
पो0-ऐलई फतेहपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिश निषाद पुत्र मानसिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2122 0969 8757 में उसका नाम चिता हरण अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिश निषाद पुत्र मानसिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मानसिंह पुत्र रमाकान्त,
ग्राम सोहसा बासपार, पोस्ट पकड़ी दीक्षित,
तहसील सदर थाना भिटौली,
जनपद महाराजगंज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जॉश्वा कुम्भकार (JOSHUA KUMBHAKAR) पुत्र बिस्वरूप कुम्भकार (BISWARUP KUMBHAKAR)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वंश यादव पुत्र उमेश कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4397 7858 5116 में उसका नाम

गिरजा का पहला बच्चा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वंश यादव पुत्र उमेश कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उमेश कुमार यादव,
ग्राम पटेहरा कचनावा,
पोस्ट धम्मौर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अली पुत्र मो० जैद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6004 1313 4537 में उसका नाम मो० उमर गनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अली पुत्र मो० जैद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो० जैद पुत्र नसीम उद्दीन,
नि० रुदापुर गद्दोपुर,
सोरांव, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अजय कुमार यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-4889 5909 7901 में मेरा नाम हरिओम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजय कुमार यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार यादव, पुत्र इन्द्रदेव यादव,
नि०-ग्राम रेहार पोस्ट देवापार,
थाना नगर जिला बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभय प्रताप सिंह पुत्र शिवराज सिंह है जो कि शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अभय प्रताप सिंह से बदलकर अमरेन्द्र सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अमरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शिवराज सिंह, पुत्र दौलत सिंह,
मु० गांधीगंज, मऊरानीपुर,
जनपद झांसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अहाना पान्डेय पुत्री विजय कुमार पान्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार मैंने अपनी पुत्री का नाम अहाना पान्डेय से बदल कर केशवी पान्डेय रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को केशवी पान्डेय पुत्री विजय कुमार पान्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय कुमार पान्डेय,
पुत्र श्री शिवपूजन पान्डेय,
खसरा नम्बर-328/10 सुरेन्द्र नगर,
वार्ड नं०- इस्माइलगंज-2 निकट,
नगर निगम डिग्री कालेज लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जे0 एम0 प्रोपर्टीज, सेकेण्ड फ्लोर 13बी, मोती मंजिल पॉकेट सी, राधिका विहार, फेस-2, जिला मथुरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री राजकुमार शुक्ला पुत्र श्री बनवारी लाल शुक्ला निवासी-198/33, माल पुरा, पोतरा कुंड, पोतरा कुंड के सामने, कृष्ण जन्म स्थान, जिला मथुरा और श्री आशीष अरोरा पुत्र श्री अशोक अरोरा निवासी-403, चतुर्थ तल, गुरुकृपा सोसाइटी, डेविल नगर, शंकर विहार रोड, दीप नर्सिंग होम के पीछे, कृष्णा नगर जिला मथुरा साझेदार थे। श्रीमती पूनम गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल, निवासी-404 श्री गोपाल अपार्टमेंट, स्वीट हाउस, निकट अग्रसेन भवन सिटी लाइट, गुजरात, श्रीमती रुचि गोयल पत्नी श्री देवेश गोयल निवासी-782, गली पचौरी घीया मंडी, जिला मथुरा और श्री मुरारी शरन अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द शरन अग्रवाल निवासी-1096 गली पचौरी चौक बाजार घीया मंडी, मथुरा उक्त फर्म में दिनांक 10 अप्रैल, 2024 से सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में श्री राजकुमार शुक्ला, श्री आशीष अरोरा, श्रीमती पूनम गोयल, श्रीमती रुचि गोयल और श्री मुरारी शरन अग्रवाल साझेदार हैं।

राजकुमार शुक्ला,
साझेदार,
मे0 जे0 एम0 प्रोपर्टीज, सेकेण्ड फ्लोर 13बी,
मोती मंजिल पॉकेट सी, राधिका विहार,
फेस-2, जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मारुति ऑटो पिस्टन रिंग्स, प्लॉट/सेड संख्या-23, औद्योगिक अस्थान, नुनिहाई आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री कैलाश चन्द, श्रीमती शान्ती देवी, श्री पुष्पेन्द्र कुमार हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक-04 अप्रैल, 2025 को संचालन की थी। दिनांक-21 अगस्त, 2025 से श्री पुष्पेन्द्र कुमार फर्म से पृथक हो गये हैं एवं श्री अरविन्द दक्ष फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री कैलाश चन्द श्रीमती शान्ती देवी, श्री अरविन्द दक्ष निवासीगण 7/202 तुलसी चबूतरा,

ताजगंज आगरा हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

कैलाश चन्द,
साझेदार,
फर्म मे0 मारुति ऑटो पिस्टन रिंग्स,
प्लॉट/सेड संख्या-23, औद्योगिक अस्थान,
नुनिहाई आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे0 सॉई कंस्ट्रक्शन एन 1/65सी-6, सेवा उपवन कालोनी, सामने घाट, लंका वाराणसी, जिसका फर्म निबंधक रजि० नं० 5717/वी-14166 दिनांक 29 जनवरी, 2013 है, जिसमें दो पार्टनर कमलेश कुमार सिंह एवं बिजेन्द्र कुमार सिंह हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को फर्म में तीसरे साझेदार बलवंत सिंह को शामिल किया गया, जिसके बाबत किसी साझेदार को कोई अपत्ति नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार कमलेश कुमार सिंह, बिजेन्द्र कुमार सिंह एवं बलवंत सिंह हैं। फर्म का कार्य यथावत चलता रहेगा।

कमलेश कुमार सिंह,
साझेदार,
मे0सॉई कंस्ट्रक्शन,
एन 1/65सी76, सेवा उपवन कालोनी,
सामने घाट, लंका वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भाव्या गुप्ता पुत्री विनय गुप्ता है जो उसके विद्यालय प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9015 8303 8641 में उसका नाम वैष्णवी गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाव्या गुप्ता पुत्री विनय गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनय गुप्ता पुत्र श्री रज्जन लाल गुप्ता,
निवासी— एम0एल0 14 बर्रा—5 बर्रा,
कानपुर नगर।

NOTICE

It is notified that First Partner (Smt. Anju Tripathi) has resigned on Date 01 April, 2023 from Firm M/s J. N. Associates having Registered Office at 30, MANAS NAGAR COLONY, ZIAMAU, LUCKNOW-226001 (Regd. No. LUC/0013274, Dated 11 Oct 2022) and now from the Date 01 April, 2023 there are only two partners as written under; (1) Shri Mahendra Kumar Tripathi & (2) Shri Vipin Kumar in the Firm- "M/s J. N. Associates" having new Office at A 9/23, HIMALAYAN APARTMENT, SECTOR 4, GOMTI NAGAR EXTENSION, NEAR SCENT FRANCIS SCHOOL, GOMTI NAGAR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226010 (Regd. No. LUC/0013274, Dated 11 October, 2022). Now there are only two partners at present in the abovesaid Firm for that any partner have no objection in the change of the constitution of the abovesaid firm.

That I also certify that all the legal formalities for the abovesaid firm have been completed by me.

Mahendra Kumar Tripathi
Partner

M/s J. N. Associates having office at A9/23,
HIMALAYAN APARTMENT, SECTOR 4,
GOMTI NAGAR EXTENSION, NEAR SCENT
FRANCIS SCHOOL, GOMTINAGAR,
LUCKNOW, UTTAR PRADESH.

NOTICE

It is hereby certified that my Correct name is Hempushpa Tiwari which is mentioned in my

official records including Aadhaar Card PAN Card etc. However, in the High School Certificate of my son from Boys High School and College (Roll No. 8157720/2024), my name has been written as Hempushpa which is incorrect.

Through this affidavit it is confirmed that all the legal formalities related to the correction of my name have been completed by me.

Hempushpa Tiwari,

58C/2K/3, Ganganagar Rajapur,

Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स संगम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स पता मोहकमपुर इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स फेस 2 दिल्ली रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि फर्म की पार्टनरशिप दिनांक 01.04.2019 को हुई थी। जिसके अनुसार फर्म में तीन पार्टनर (1) श्री घनश्याम दास गुप्ता पुत्र श्री रघुवीर सिंह गुप्ता (2) श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम दास गुप्ता (3) श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता थे। संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 01.08.2025 के अनुसार साझेदार (3) श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गई है तथा इनका फर्म से अब कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो साझेदार रह गये हैं (1) श्री घनश्याम दास गुप्ता पुत्र श्री रघुवीर सिंह गुप्ता (2) श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम दास गुप्ता है।

घनश्याम दास गुप्ता,

साझेदार,

फर्म मेसर्स संगम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स,
पता मोहकमपुर इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स फेस 2,
दिल्ली रोड, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

मेसर्स—जय माँ अम्बे ट्रान्सपोर्ट पता—ग्राम पचघरा पो०कोटरा पर० तहसील विसंवा जिला सीतापुर जिसका

रजि० नं० 199990 दिनांक 12-03-2024 का पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर, श्री रामखेलावन पुत्र श्री श्रीकृष्ण निवासी ग्राम पचघरा पो० कोटरा जिला सीतापुर, द्वितीय पार्टनर श्री अनुज अवस्थी पुत्र श्री राजेन्द्र अवस्थी निवासी-बल्देवनगर, मानपुर जिला-सीतापुर थे । दिनांक 25-12-2024 से द्वितीय पार्टनर, श्री अनुज अवस्थी पुत्र श्री राजेन्द्र अवस्थी निवासी- बल्देवनगर, मानपुर जिला-सीतापुर साझेदारी से अलग हो गये है । वर्तमान में प्रथम पार्टनर, रामखेलावन पुत्र श्री श्रीकृष्ण निवासी - ग्राम पचघरा पो० कोटरा जिला-सीतापुर, द्वितीय पार्टनर, रजनीश पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला-सीतापुर, तृतीय पार्टनर, श्री मुकेश वर्मा पुत्र श्री रामखेलावन निवासी- ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला-सीतापुर, चतुर्थ पार्टनर श्री दीपेश वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी-ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला-सीतापुर, साझेदार होंगे ।

राम खेलावन,
साझेदार,
मेसर्स-जय माँ अम्बे ट्रान्सपोर्ट,
पता-ग्राम पचघरा पो०कोटरा पर० तहसील,
विसंवा जिला सीतापुर ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० रोहिणी कन्स्ट्रक्शन्स, शॉप नं०-10 प्रथम तल, भगवती कॉम्प्लैक्स, शाह सिनेमा के सामने, एम०जी०रोड, आगरा परिवर्तित पता-प्लॉट नं.-1 KH नं० 308 मौजा दहतोरा नीयर बोस्टन पब्लिक स्कूल, आगरा-282007 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

यह कि दिनांक-25 जून, 2025 को श्री पृथ्वीराज सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह निवासी-22 विश्वकर्मा विहार, शास्त्रीपुरम् सिकन्दरा, आगरा तथा श्रीमती अन्नू मलिक पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह निवासी-उपरोक्त को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक-25 जून, 2025 को ही फर्म के साझेदार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी-82 राधे विहार सिकन्दरा, आगरा तथा श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द्र अग्रवाल निवासी-53 बृज द्वारिका

कॉलोनी, निकट रामचन्द्र पुरी, मौजा देहतोरा, आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। वर्तमान में फर्म में श्री पृथ्वीराज सिंह तथा श्रीमती अन्नू मलिक साझेदार है।

पृथ्वीराज सिंह,
साझेदार,
मे० रोहिणी कन्स्ट्रक्शन्स, शॉप नं०-10, प्रथम तल,
भगवती कॉम्प्लैक्स, शाह सिनेमा के सामने,
एम०जी०रोड, आगरा ।
परिवर्तित पता-प्लॉट नं.-1 KH नं० 308 मौजा
दहतोरा नीयर बोस्टन पब्लिक स्कूल, आगरा ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० गुरुराखा गैस सर्विस, ए-3 शहीद नगर, शमशाबाद रोड, आगरा-282001 जिसका परिवर्तित पता-शॉप नं०-2 प्लॉट नं०-36 हरी नगर कॉलोनी, द आईकॉन राजपुर शमशाबाद रोड, आगरा-282001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि दिनांक-30 अगस्त, 2025 को फर्म का पता परिवर्तन कर शॉप नं०-2 प्लॉट नं०-36 हरी नगर कॉलोनी, द, आईकॉन राजपुर शमशाबाद रोड, आगरा-282001 कर दिया गया है

निधि मिश्रा,
साझेदार,
मे० गुरुराखा गैस सर्विस,
ए-3 शहीद नगर, शमशाबाद रोड, आगरा ।
परिवर्तित पता-शॉप नं०-2 प्लॉट नं०-36 हरी नगर
कॉलोनी, द आईकॉन राजपुर शमशाबाद रोड, आगरा ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भारत प्रोपर्टीज (BHARAT PROPERTIES) पता- प्लॉट नं. 158, पिंक सिटी, मोहान रोड, लखनऊ 226003 है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें 3 (तीन) पार्टनर श्री अनिल पटेल, श्री आशुतोष सिंह एवं श्री तुषार सिंह

हैं। दिनांक 09 अगस्त, 2025 को नई साझेदारी बनी जिसमें फर्म का पता परिवर्तित होकर—545 के0ए0/आर0 आर0—508 ए, योगीपुरम, दीप्ति खेड़ा, ईलाइट होटल, बुद्धेश्वर चौराहा, पारा, लखनऊ 226017 हो गया है। वर्तमान उक्त फर्म में वही 3 साझेदार श्री अनिल पटेल, श्री आशुतोष सिंह एवं श्री तुषार सिंह हैं जो कि पूर्व में थे जिसमें पार्टनर्स में कोई आपत्ति नहीं है।

अनिल पटेल,

साझेदार,

फर्म मेसर्स भारत प्रोपर्टीज,

नया पता—545 के0ए0/आर0आर0—508 ए,

योगीपुरम, दीप्ति खेड़ा, ईलाइट होटल,

बुद्धेश्वर चौराहा, पारा लखनऊ।

सूचना

मेसर्स साई सर्विसेज पता—भोलागंज तहसील विसंवा जिला-सीतापुर जिसका रजि० नं० एस०आई०टी०/0005953 दिनांक 12 मार्च, 2024 का पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर श्री सौरभ अवस्थी पुत्र श्री निर्भय अवस्थी निवासी-बल्देवनगर, मानपुर जिला-सीतापुर द्वितीय पार्टनर श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रामखेलावन निवासी- ग्राम पचघरा पो० कोटरा जिला सीतापुर, तृतीय पार्टनर श्री महेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी-ग्राम पंचघरा पो० कोटरा जिला-सीतापुर, चतुर्थ पार्टनर श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री भारत प्रसाद वर्मा निवासी—ग्राम रामपुर मथुरा तह०महमूदाबाद जिला-सीतापुर, तथा पंचम पार्टनर श्रीमती राजवती पत्नी श्री रामचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला-सीतापुर थे। दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 से प्रथम पार्टनर, श्री सौरभ अवस्थी पुत्र श्री निर्भय अवस्थी निवासी-बल्देवनगर, मानपुर जिला-सीतापुर साझीदारी से अलग हो गये हैं। वर्तमान में प्रथम पक्ष श्रीमती राजवती पत्नी श्री रामचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला सीतापुर तथा द्वितीय पार्टनर, श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रामखेलावन निवासी-ग्राम पचघरा पो० कोटरा जिला सीतापुर, तृतीय पार्टनर श्री महेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी— ग्राम पचघरा पो०कोटरा जिला सीतापुर, चतुर्थ पार्टनर श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री भारत प्रसाद

वर्मा निवासी ग्राम रामपुर मथुरा तह० महमूदाबाद जिला-सीतापुर साझीदार होंगे।

श्रीमती राजवती,

साझीदार,

मेसर्स साई सर्विसेज,

पता—भोलागंज तहसील विसंवा,

जिला-सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स खाटू श्याम कोल्ड स्टोर पता—सिद्धपुर, कैधौली जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०—BUD/0021850 मे दिनांक 20 मई, 2025 से सुचारु रूप से कार्य कर रही है। उपरोक्त फर्म का पता दिनांक 13 अगस्त 2025 से ग्राम फतेहपुर वीरमपुर तहसील बिसौली जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश हो गया है व उपरोक्त फर्म में दिनांक 13 अगस्त, 2025 को साझेदार श्री ओमवीर पुत्र श्री लोकीराम स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात साझेदार ओमवीर का फर्म पर व फर्म का ओमवीर पर कोई बकाया शेष नहीं है। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल पाँच साझेदार क्रमशः 1—हरीओम कुमार सिंह, 2—शिव कुमार सिंह 3—सुधा कुमारी 4—श्रीकान्त 5—हरीकान्त सिंह है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारितायें पूर्ण कर ली गयी है।

हरिओम कुमार सिंह,

साझीदार,

फर्म मेसर्स खाटू श्याम कोल्ड स्टोर,

पता— ग्राम फतेहपुर वीरमपुर तहसील बिसौली

जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अग्रवाल कन्सल्टैक्शन, खालसा स्ट्रीट सिविल लाइंस, मुरादाबाद जिसकी पंजीकरण संख्या—एमओआर /20013261 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 है। पंजीकृत फर्म की पार्टनरशिप डीड 1—रवीन्द्र कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार

निवासी खालसा स्ट्रीट, सिविल लाइंस, मुरादाबाद 2—श्री हामिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल हामिद निवासी ग्राम एण्ड पोस्ट राजपुर केसरिया, तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को निष्पादित की गयी । दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को संशोधित पार्टनरशिप डीड तीसरे पार्टनर श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी मकान सं0—11, नवीन नगर एमडीए कॉलोनी मुरादाबाद को शामिल किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को संशोधित पार्टनरशिप डीड के द्वारा श्री हामिद हुसैन फर्म से रिटायर्ड हो गये। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को संशोधित पार्टनरशिप डीड के द्वारा श्री प्रेम सिंह फर्म से रिटायर्ड हो गये तथा उनके स्थान पर फर्म में श्री जाने आलम पुत्र श्री अबरार हुसैन निवासी नल नई बस्ती बिजनौर रोड अमरोहा शामिल हो गये। अब फर्म में कुल 02 पार्टनर श्री रविन्द्र कुमार तथा श्री जाने आलम है।

रविन्द्र कुमार,

पार्टनर,

मेसर्स अग्रवाल कन्सल्टैन्स,

खालसा स्ट्रीट सिविल लाइंस, मुरादाबाद,
कोठी नं0— 5 ए टी बी टावर के सामने सिविल
लाइन्स, मुरादाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ऋचा यादव पुत्री श्री दशरथ लाल जो कि कक्षा 10, 12 सेन्ट्रल एकेडमी से पास की हूँ। परन्तु मेरे कक्षा 10 अनुक्रमांक 23247563 और कक्षा 12 अनुक्रमांक 23746733 की मार्कशीट में पिता का नाम गलत प्रिन्ट हुआ है, जो

कि दशरथ यादव (Dastrath Yadav) अंकित है। जबकि सही नाम दशरथ लाल (Dastrath Lal) है। जो कि हमारे आधार कार्ड में भी अंकित है।

ऋचा यादव,

पुत्री दशरथ लाल,

पता—सोनौटी झूँसी, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सनशाइन क्रिएटिव ग्रुप पता—ए0बी—15, गोल्फ लिंक—1, सेक्टर ओमेगा—1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0 की पार्टनर्सशिप डीड दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को हुई थी, संशोधित पार्टनर्सशिप डीड दिनांक 16 सितम्बर, 2023 के अनुसार इसमें तीन साझेदार 1—श्री अशोक कुमार त्यागी, 2—श्री अविकल सिंह, 3—श्रीमती सौम्या सिंह थी। संशोधित पार्टनर्सशिप डीड दिनांक 25 अगस्त, 2025 के अनुसार फर्म में से श्री अशोक कुमार त्यागी अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है, अब इनका इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है, संशोधित पार्टनर्सशिप डीड दिनांक 25 अगस्त, 2025 के अनुसार फर्म में दो साझेदार 1—अविकल सिंह व 2—श्रीमती सौम्या सिंह रहेंगे।

अविकल सिंह,

साझेदार,

मेसर्स सनशाइन क्रिएटिव ग्रुप,

पता—ए0बी-15, गोल्फ लिंक-1, सेक्टर ओमेगा—1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।